# Hechan Usignalia The Gazette of India

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2323] No. 2323] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2012/अग्रहायण 13, 1934

NEW DELHÍ, TUESDAY, DECEMBER 4, 2012/AGRAHAYANA 13, 1934

# पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2817(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ए. आर. यूसुफ, जबारी मॉजिल, ओसमानाबाद, मल्ला बाग, हजरतबल, श्रीनगर-190006, जम्मू और कश्मीर को दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से पांच वर्ष की अविध के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(5)/2010-पीएल/एनजीटी (वो.-VI]

सरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2012

S.O. 2817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri A. R. Yousuf, Jabari Manzil, Osmanabad, Malla Bagh, Hazratbal, Srinagar-190006, Jammu and Kashmir, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 23rd November, 2012 for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 17(5)/2010-PL/NGT (Vol. VI)]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.